-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 14.02.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2018 में थाना बिसंडा क्षेत्र में व्यक्ति की मारपीट कर गैर-इरादतन हत्या करने वाले एक अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 07 वर्ष के कारावास व 14 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2018 में थाना बिसंडा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम अमलोहरा में व्यक्ति की मारपीट कर गैर इरादन हत्या करने वाले अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 04.08.2018 को थाना बिसंडा क्षेत्र के ग्राम अमलोहरा के रहने वाले रामदयाल को गांव के ही जागेश्वर पुत्र प्यारे ने मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस सम्बन्ध में मृतक की पत्नी शिवकुमारी द्वारा दिनांक 08.08.2018 को थाना बिसंडा पर तहरीर दी गयी जिस पर थाना बिसंडा पर मु0अ0सं0 141/18 धारा 304/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 18.09.2018 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री विजय बहादुर सिंह व लोक अभियोजक श्री उमाशंकर पाल द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर मु0आ0 भानु प्रताप तथा पैरोकार आरक्षी राजन अग्निहोत्री के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 07 वर्ष के कारावास व 14 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **जागेश्वर पुत्र प्यारे धोबी निवासी अमलोहरा थाना बिसंडा जनपद बांदा।**

अभियोजक
श्री विजय बहादुर सिंह

अभियोजक
श्री उमाशंकर पाल

विवेचक
उ0नि0 श्री विनोद कुमार

कोर्ट मोहर्रिर
मु0आ0 भानु प्रताप

पैरोकार
आ0 राजन अग्निहोत्री